कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–3211/2026

CNR NO.- **UPME010090932026**

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,विशेष न्यायालय संख्या– 1
(भ्र०नि०अधिनियम),मेरठ।
उपस्थितः– आलोक द्विवेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(जे०ओ० कोड–यू०पी० 6247)
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 2598/2026

UPME010090932026

1.अरकम पुत्र निजामुददीन
2.निजामुददीन पुत्र यासीन
निवासीगण अन्सार कालोनी गोला कुंआ थाना कोतवाली, जिला मेरठ।
———आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0राज्य
———विपक्षी

मु०अ०स०–426/2026
धारा – 319, 318(4), 338, 336(3),
340(2),3(5) बी0एन0एस0 व धारा 66डी
आई0टी0एक्ट व धारा 36, 37 आधार कार्ड अधिनियम
थाना–लिसाडीगेट, जिला मेरठ।

दिनांक–06.07.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण अरकम एवं निजामुददीन की ओर से शपथपत्र से समर्थित करते हुए उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या –426/2026 धारा – 319, 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 व धारा 66डी आई0टी0एक्ट व धारा 36, 37 आधार कार्ड अधिनियम थाना–लिसाडीगेट, जिला मेरठ, में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक फर्द बरामदगी के अनुसार इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2026 को उ0नि0 नरेश मय उ0नि0 विकाश कौशिक, उ0नि0 नितेश त्रिपाठी, उ0नि0 वसीम, हे0का0 759 सचिन व का0 2152 निशान्त के मय सरकारी/प्राईवेट वाहन के मय विवेचना किट के थाना हाजा से वाहवाले रपट नं0 72 समय 11.10 बजे पर रवाना होकर वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था चौकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वांछित वारण्टी व तलाश वांछित अभियुक्तगण के धाना क्षेत्र में मामूर थे कि जब हम पुलिस वाले गश्त करते हुए हापुड़ अड्डा के पास पहुंचे तो जरिये मुखबिरखास सूचना मिली की साहब आपके थाना क्षेत्र में गोला कुंआ के पास कुछ लोग रायल सर्विस नाम का फर्जी साईबर कैफ चलाते है जोकि गरीब लोगों के साथ धोखा धड़ी करके उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, का प्रयोग कर उनके नाम/आई डी पर बैंक से खाता खुलवा लेते है, डेबिट क्रेडिट कार्ड बनवा लेते है, फर्जी हेल्थ कार्ड बना लेते है और इन सब से ये लोग ऑनलाईन पैसों का लेन देन करते है और इस प्रकार ये लोग साईबर ठगी का पैसा भी मंगा कर गलत तरीके से मोटी कमाई करते है। ये धंधा इन लोगों ने काफी दिनों से चला रखा है। साहब ये लोग वर्तमान समय में अपनी साईबर कैफे में इसी काम में लगे हुए है। अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है, और उनसे घटना में प्रयुक्त बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड, वोटर कार्ड, ब्लैंक हेल्थ कार्ड व चैक बुक आदि कई फर्जी

दस्तवेज बनाने के सामान भी मिल जायेगें। इसके पश्चात हम पुलिस वालो द्वारा मय मुखबिर के गवाहान फरहान का प्रयास किया गया, लेकिन भलाई बुराई की बात कहकर जनता का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये एक एक करके चले गये। बामजबूरी हम पुलिस वालो द्वारा मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नही है। इसके पश्चात हम पुलिस वाले मय मुखबिर के मुखबिर के बताये स्थान गोला कुंआ के पास पहुंचे तो मुखबिरखास ने दूर से चौराहे पर खड़े होकर इशारा करते बताया कि साहब सामने जो साईबर कैफे की दुकान है उसे ये लोग रयल सर्विस के नाम से चलाते है। इसी दुकान में यह सब फर्जीवाड़ा होता है है। बताकर मुखबिर चला गया। जैसे ही हम पुलिस वाले उक्त दुकान की तरफ चले हम पुलिस वालो को अपनी तरफ आता देखकर दुकान मैं बैठे दो व्यक्ति दुकान से अपने हाथों में कुछ सामान पलिथिन में भरकर भागने का प्रयास करने लगे। हम पुलिस वालो द्वारा सिखलाये हुए तरीके से एक बारगी दबिश देकर दोनो व्यक्तियो को हमराह पुलिस फोर्स की मदद से आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर घेर घोटकर उसी दुकान में पकड लिया। पकड़े जाने पर दुकान से भागने का कारण व नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम अरकम पुत्र निजामुद्दीन निवासी अन्सार कालोनी गोला कुंआ थाना कोतवाली मेरठ उम्र करीब 27 वर्ष व जामा तालाशी से दाहिने हाथ में पकडे हुए पीले रंग की पलिथिन कैरी बैग से 45 अदद अलग अलग बैंको के डेबिट/क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। व 06 अदद बैंक पासबुक बरामद हुई जिसमे 05 अदद पासबुक पीएनबी बैंक की है, जिनके खाता सख्या क्रमशः 04142191010720, 7982001700119690, 7982001700126690, 4442000100115747, 7982001700120605 है। 02 अदद चैकबुक बरामद हुई जिनके खाता नं0 क्रमशः 0148104000182188, 0148104000182201 है, व 48 अदद वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए व 07 अदद ब्लैंक हैल्थ कार्ड जिनके उपर कोई भी नं० या नाम अंकित नहीं है बरामद हुए तथा 93 अदद आधार कार्ड बरामद हुए व जामा तलाशी में पहने सफेद रंग के कुर्ते की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाईल फोन सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा रंग सिल्वर आई0एम0ई0आई0 नं0 352425611656706 व सिम नं0 8864800078 बरामद हुआ, पकड़े गये व्यक्ति अरकम उपरोक्त से 45 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 06 बैंक पासबुक, 02 चैकबुक, 48 वोटर आईडी कार्ड, 07 ब्लैंक हेल्थ कार्ड, 93 आधार कार्ड रखने का लाईसेन्स / बिल मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति से दुकान बन्द कर भागने का कारण व नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम निजामुद्दीन पुत्र यासीन निवासी अन्सार कालोनी गोला कुंआ थाना कोतवाली मेरठ उम्र करीब 54 वर्ष बताया व जामा तालाशी से दाहिने हाथ में पकडे हुए हरे रंग की पलिथिन कैरी बैग से 47 अदद अलग अलग बैंको के डेबिट / क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। जिनमें से 04 आईडीबीआई बैंक के कार्ड है व 04 अदद पीएनबी के कार्ड है व 03 अदद यस बैंक के कार्ड है, 03 अदद एक्सिस बैंक के कार्ड है व दो डीसीबी बैंक के, तीन कोटक बैंक के, एक डीबीएस बैंक का, एक सर्वोदय बैंक का, एक पेटीएम बैंक का व 24 अदद लिफाफा बन्द डेबिट/क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। तीन अदद चैक बुक व 91 अदद वोटर आईडी बरामद हुई व 87 अदद आधार कार्ड , 09 अदद ब्लैंक हैल्थ कार्ड जिनके उपर कोई भी नं० या नाम अंकित नही है बरामद हुए तथा 97 अदद पेन कार्ड बरामद हुए है तथा 10 अदद रबर स्टैंप शील मोहरें बरामद हुई जिनमें से 01 अदद रबर स्टैंप/शील मोहर नगर निगम मेरठ की है, 02 अद्द रबर स्टैंप / शील मोहर नोटरी की है, 01 अदद रबर स्टैंप / शील मौ० आरिफ पार्षद नगर निगम मेरठ वार्ड नं0 01 की है, 01 अदद रबर स्टैंप / शील स्टांप मोहर विक्रता निजामुद्दीन अंसारी की है, 02 अदद रबर स्टैंप / शील मोहर रॉयल सर्विसेज, 01 अदद रबर स्टैंप / शील मोहर लोकवाडी केन्द्र मेरठ की है, 01 अदद रबर स्टैंप / शील मोहर मौ० रवीश एडवोकेट नोटरी पब्लिक रजि० नं0 10908 है। 01 अदद रबर स्टैंप / शील मोहर मौ० इश्तियाक जामिया फरकानिया दूरे यतीम श्याम नगर मेरठ की है व जामा तलाशी में

पहने सफेद रंग के कुर्ते की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाईल फोन मोटोरोला रंग हल्का ग्रीन जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0 357611732138477 व सिम नं0 9058166446 है पकड़े गये व्यक्ति निजामुद्दीन उपरोक्त से 47 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 04 बैंक पासबुक, 03 चौकबुक, 91 वोटर आईडी काम, 09 ब्लैंक हेल्थ कार्ड, 87 आधार कार्ड, 97 पैन कार्ड, 10 रबर रबर स्टैंप / शील मोहर रखने का लाईसेन्स / बिल मांगा गया तो दिखाने मे कासिर रहा। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से साईबर कैफे चलाने के लिये सीएससी आईडी दिखाने के लिये कहा गया तो पकड़े गये दोनो व्यक्ति दिखाने में कासिर रहे। पकडे गये व्यक्ति निजामुद्दीन उपरोक्त ने बताया कि मैं और मेरे दोनो बेटे अरकम और अबुबकर फर्जी तरीके से साईबर कैफे चलाते है। आज दुकान पर मैं और मेरा बेटा अरकम ही आये थे। कि आपने पकड़ लिये। आज अबुबकर हमारे साथ नहीं आया है। वो किसी काम से बाहर गया है। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से पकडे गये व्यक्तियो से बरामद 92 डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 05 चैकबुक, 139 वोटर आईडी कार्ड, 16 ब्लैंक हेल्थ कार्ड, 180 आधार कार्ड, 97 पैन कार्ड, 10 रबर स्टैंप/ शील मोहरों के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हमसे गलती हो गयी उपरोक्त के सम्बन्धं में कड़ाई से पूछताछ की तो बताया कि साहब हम तीनों बाप व बेटे मिलकर गरीब लोगों को फसाते है और उनको बेबकूफ बनाकर उनकी आई डी ले लेते है या फिर उन लोगों के फर्जी आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड बना लेते है। फर्जी रबर स्टैंप/शील मोहरों का प्रयोग कर कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं। फिर इन्ही आईडी व दस्तावेजों से बैंकों में फर्जी खाते व उनके नाम पर डेबिट क्रेडिट कार्ड बनवा लेते है। फिर हम लोग अपने मोबाईल फोनों से इन खातों से instant mudra.in, swife money.in जैसी वेबसाईट व अन्य ऑनलाई पेयमेन्ट एप्प के जरिये पैसों का अन्य बैंक खातों में लेन देन कर पैसे कमाते है। हम तीनों एक राय होकर लोगो से धोखाधड़ी कर फर्जी कूटरचित आधारकार्ड व दस्तावेज तैयार कर साइबर ठगी करके आर्थिक अपराध कारित करते है, पकड़े गये दोनो व्यक्तियों के मोबाईल फोनों के पासवर्ड खुलवाकर चैक किया गया तो अरकम उपरोक्त के मोबाईल फोन में उपरोक्त दोनो वेबसाईटों को खोलकर चैक किया गया तो उक्त वेबसाईटों से करीब 35 से 40 ट्रांजेक्सन विभिन्न विभिन्न खातों में होना पाया गया। उपरोक्त किये गये ट्रांजेक्सन के बारे में पूछताछ की गयी तो कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उपरोक्त पकड़े गये व्यक्तियों से बारामद हुई सभी पासबुकों पर अंकित खाता संख्याओं को i4c (Indian Cyber Crime Coordination center) के तहत संचालित समन्वय पोर्टल पर चैक किया गया तो PNB BANK की पासबुक खाता सं0 7982001700119690 पर एक ऑनलाईन फ्राड की शिकायत दिनांक 19.02.2024 को प्रदर्शित हो रही है, जिसका ACKNOWLEDGEMENT NO 20402240001270 है जिसके शिकायतकर्ता शुभंकर देय निवासी दुलावचैरा थाना रतावरी जिला करीमगंज असम मो0 6003788359 है। इस पर हम पुलिस वालो द्वारा पकडे गये दोनो व्यक्तियो को उनके जुर्म धारा 319, 318(4), 338, 336 (3), 340(2), 3(5) बीएनएस व धारा 66 (डी) आई टी एक्ट व धारा 36, 37 आधार कार्ड एक्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 14.06.2026 को समय करीब 00.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। मुझ उ0नि0 द्वारा अभियुक्तगण से बरामद उपरोक्त सामान को अभियुक्त वार बरामदगी अनुसार अलग अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डब्बो मे रखकर चिटबन्दी किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान आने जाने वालो राहगीरो से गवाही हेतू कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये एक एक करके चले गये। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर ही मुझ उ0नि0 द्वारा तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का पूर्णतः पालन किया व कराया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी की ई साक्ष्य एप पर विडियोग्राफी उ0नि0 नितेश त्रिपाठी के मोबाईल फोन से उ0नि0 विकाश कौशिक द्वारा की गयी, जिसका एसआईडी न0 2024384099065550 है। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा अपने निजी लैपटॉप पर टकंण कर साईबर कैफे में लगी लाईट की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द की दो

प्रतियांमंगवाने हेतु एक पैनड्राईव में डालकर का0निशनंत को देकर थाना भेजा जा रहा है। फर्द आने पर मजमून हमराही उ0नि0 व कर्मचारीगण व अभियुक्तगण को पढकर सुनाकर गवाही गवाहान के अलामात बनवाये जाऐगें तथा अभियुक्तगण की गिरफतारी की सूचना थाने पहुंचकर जरिये उचित माध्यम अभियुक्तगण को दी जाएगी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण का संक्षेप में कथन है कि उसे उपरोक्त मुकदमें में झूठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसकी दुकान पर दिनांक 11.06.2026 को शाम 4 बजे 6 पुलिस वाले वर्दी में तथा 5 पुलिस वाले सादे कपडों में एक महिला पुलिस के साथ आये और बताया कि वह थाना साईबर काईम से आये है और एक घण्टे तक दुकान पर रहे और उसके परिवार के लोगों के आधार कार्ड व कुछ एयरटेल पेमेन्ट बैंक व सूर्योदय स्मॉल फाईनेन्स बैंक के कुछ सील बन्द ए०टी०एम० तथा अन्य कागजात अपने साथ ले गये, उस समय प्रार्थी/अभियुक्त निजामुद्दीन का बेटा अबुबकर मौजूद था तथा प्रार्थी/अभियुक्त अरकम हज को गया हुआ था जिसकी वापसी उसी दिन दिनांक 11.06. 2026 की रात्रि को इन्दिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाईट से आया था। दिनांक 12. 06.2026 को शाम 5 बजे थाना साईबर काईम पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को बुलाया था, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्तगण व अपने साथ जुनैद अंसारी, इमरान अंसारी, जुबैर व अमन के साथ शाम 5 बजे पहुंचे जहां लगभग शाम के 7 बजे तक उनको थाने में बैठाये रखा और उसके बाद जाने दिया। प्रार्थी/अभियुक्तगण अरकम पुत्र निजामुद्दीन व निजामुद्दीन पुत्र यासीन को थाना साईबर काईम, मेरठ में बुलाने के लिए दिनांक 12.06.2026 की रात को थाना लिसाड़ी गेट के दो पुलिस वाले फैन्टम पर आये तथा कहा कि तुम्हें कल सुबह थाना साईबर काईम, मेरठ में इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। दिनांक 13.06.2026 को वे सुबह 11 बजे थाना साईबर काईम, मेरठ पहुंचे तो पुलिस द्वारा तभी उनको गिरफ्तार कर लिया और दोपहर लगभग 1 बजे थाना लिसाड़ी गेट ले आये, परन्तु उसी दिन दिनांक 13.06.2026 में उनको न्यायालय में पेश नहीं किया गया तथा उनको दिनांक 13/14.06. 2026 की रात्रि 00:01 बजे थाना लिसाडी गेट, मेरठ की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्तगण को उनकी दुकान पर लायी तथा वहां प्रार्थी/अभियुक्तगण की विडियों बनाई तथा अवैध रूप से फर्जी बरामदगी व फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर थाना लिसाडी गेट पर मुकदमा दर्ज कर अगले दिन दिनांक 14.06.2026 की शाम 5 बजे रविवार को डयूटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको थाना साईबर काईम, मेरठ व थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ की पुलिस द्वारा लगभग 30 घण्टे तक अवैध हिरासत में रखा, जिस कारण उक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तारी के आधार सविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार नहीं दिये गये तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण के मूलभूत अधिकार जो उसे सविधान के अनुच्छेद 21 व 22 में प्राप्त है, का उल्लघंन हुआ है, जिस कारण वे जमानत पाने का अधिकारी है। यहां यह बताना विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थी / अभियुक्तगण दिनांक 13.06.2026 की सुबह 11 बजे से थाना साईबर काईम मेरठ में रहे तथा दिनांक 13.06.2026 की दोपहर 1 बजे थाना साईबर काईम की पुलिस प्रार्थी /अभियुक्तगण को थाना लिसाडी गेट मेरठ ले आयी और प्रार्थी / अभियुक्तगण थाना लिसाडी गेट में निरूद्ध रहे तो थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में बतायी गयी पूरी कहानी झूठी हो जाती है। जिस कारण सारी बरामदगी फर्जी साबित हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा कोई भी दस्तावेज फर्जी नहीं बनाया गया है और ना ही कोई किसी का सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड आदि फर्जी बना सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में कोई भी संसोधन सरकार के आधार कार्ड पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है या किसी साईबर कैफे पर भी जाकर आधार कार्ड व वोटर कार्ड में जो संसोधन सरकार द्वारा करने हेतु सुविधाएं आम जनता के लिए दे रखी है और उसके लिए आधार कार्ड में कोई फोटो या पता बदलने हेतु सम्बंधित व्यक्ति के मोबाईल पर ओ०टी०पी० जाता है, तभी आधार कार्ड व वोटर कार्ड या अन्य सम्बंधित सरकारी दस्तावेजों में संसोधन हो सकता है। उनके विरूद्ध अं०धारा–319,318(4),338,336(3),340(2),3(5) बी०एन०एस० व 66 डी, 36,37 सूचना

प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के अपराध का गठन नहीं होता है। अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि–व्यवस्था, Paramvir Singh Saini Versus Baljit Singh And Others (2021) 1 SCC 184 , Ashak Hussain Allah Detha v. Assistant Collector of Customs (P) Bombay, 1990 SCC OnLine Bom 3 Anuj Kumar Singh Versus Union of India 2026 SCC Online P&H 5458, Joginder Kumar Versus State of U.P. And Others (1994) 4 SCC 260 तथा D.K. Basu Versus State of W.B. (1997) 1 SCC 416, Directorate of Enforcement Versus Subhash Sharma (2025 SCC Online SC 240, Vihaan Kumar Versus State of Haryana and Another (2025 SCC Online SC 269), Sheila Sebastian V. R. Jawaharaj, (2018) 7 SCC 581, 2024 SCC Online Supreme Court 1920 Manish Sisodia V/s Directorate of Enforcement का उल्लेख अपने जमानत आवेदनपत्र में किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्तगण उक्त मुकदमें में दिनांक 14.06.2026 से जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध है। उनका कोई अपराधिक इतिहास नही है। उनकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसे अवर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया, जिसके पश्चात माननीय न्यायालय में प्रार्थी / अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र उक्त मुकदमें के सम्बंध में किसी भी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। उनके फरार होने अथवा गवाहो को डराने धमकाने का कोई अन्देशा नही है। वे माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतिभूति देने को तैयार है। निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना। जमानत पत्रावली, थाने की आख्या, केस डायरी एवं पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि केस डायरी के पर्चा सं0 01 के पृष्ठ 22 पर यह उल्लिखित है कि अभियुक्तगण को मय माल बरामदगी थाने पर लाकर रपट नं0 13 समय 3:12 बजे दाखिल कर बरामदगी व गिरफतारी के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी पर्चे में गिरफतारी मैमो भी सलग्न है जिसमें गिरफतारी का तारीख व समय 14.06.2026 समय 00:30 अंकित है तथा मैमों में मुकदमे का नम्बर भी 426/26 अंकित है जबकि जी0डी0 में दिनांक 14.06.2026 समय 3:12 तथा चिक में 14.06.2026 समय 3:20 अंकित है। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की गिरफतारी के समय ही विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है तथा केस डायरी के पर्चा सलग्न, गिरफतारी के आधार सलग्न है किन्तु उसमें केवल मुकदमे की धाराए लिख दी गयी है तथा उसमें सम्यक तरीके से गिरफतारी के आधार नही बताये गये है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत सम्यक रूप से गिरफतारी के आधार बताये जाने चाहिए थे। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई भी फर्जी दस्तावेज नही बनाया गया है क्योंकि किसी का आधार बदलने पर उसके मोबाईल पर ओटीपी आता है। अभियुक्तगण को दिनांक 14.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व हैं। थाने की आख्या के अनुसार उनका कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः इस स्तर पर मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण अरकम पुत्र निजामुददीन व निजामुददीन पुत्र यासीन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–3211/2026

CNR NO.- **UPME010090932026**

आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अंकन 1,00,000/–1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेगें एवं न्यायालय की अपेक्षानुसार नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आयेगें।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगें।

3. यह आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की प्रारंभिक अवस्था, आरोप विरचन एवं दौरान परीक्षण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगें।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगें और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारतवर्ष से बाहर नही जाएगें।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का यदि अनुपालन नही किया जाता है तो अभियोजन को अनुपालन न करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने हेतु स्वतंत्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति e-mail द्वारा संबंधित कारागार को भेजी जाये।

दिनांक– 06.07.2026

(आलोक द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय संख्या–01,
(भ्र0नि0अधि0), मेरठ।
JO Code UP 6247

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.